छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2512580, 81

Web:- http://samvad.cg.nic.in, email : cgsamvad@gmail.com

क्रमांक–3449 / छ.ग.सं / प्रका. / 2022 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक : 21 / 03 / 2022

रायपुर तथा नवा रायपुर अटल निवेश क्षेत्र हेतु छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में यूनीपोल के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु योग्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद (जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था) द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों, निगम, मंडल, बोर्ड एवं अर्धशासकीय संस्थाओं के लिए राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का यूनीपोल के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु निविदा के अनुमोदित दर पर स्वयं के स्वामित्व वाले यूनीपोल एजेन्सियों के इम्पैनलमेंट हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

प्रस्ताव प्रपत्र शुल्क राशि रु. 2,360 / – (दो हजार तीन सौ साठ रूपए मात्र) जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) का छत्तीसगढ़ संवाद के नाम से डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक जमा करना होगा। निविदा की नियम शर्तें छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट http://samvad.cg.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। निविदा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं किया जायेगा। परिवर्तन की सूचना उक्त वेबसाईट में दी जायेगी।

अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र शुल्क	रूपए 2,360 / – (जीएसटी सहित) वापसी योग्य नही।
अमानत राशि रु.	रूपए 5,00,000 / – (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	दिनांक 07 / 04 / 2022 समय अपरान्ह 2:00 बजे तक
अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 07 / 04 / 2022 समय अपरान्ह 3:00 बजे तक
अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 07 / 04 / 2022 समय सायं 4:00 बजे तक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

छत्तीसगढ़ संवाद

रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2512580, 81

Web:- http://samvad.cg.nic.in, email : cgsamvad@gmail.com

रायपुर तथा नवा रायपुर अटल निवेश क्षेत्र हेतु छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में यूनीपोल के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु योग्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु रुचि की अभिव्यक्ति संबंधी नियम एवं शर्तें

1 छत्तीसगढ़ संवाद फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों, निगम, मंडल, बोर्ड एवं अर्धशासकीय संस्थाओं के लिए राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाता है।

2 छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर एवं प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में यूनीपोल के माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु स्वयं के पास नगर पालिक निगम या नगर निगम अथवा शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्था से विज्ञापन प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त वैध यूनीपोल होने वाले एजेन्सियों से प्रचार–प्रसार हेतु स्वयं के स्वामित्व के यूनीपोल वाले फर्मों से छत्तीसगढ़ संवाद के यूनीपोल निविदा के न्यूनतम अनुमोदित दर पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु यूनीपोल के स्पेस किराये से देने वाले फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु फर्मों से रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है।

3 छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा के माध्यम से दर निर्धारण कर फर्मों का इम्पैनलमेंट किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर एवं प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में यूनीपोल के माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिले व योजनाओं/उपलब्धियों के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु पूर्व में इम्पैनल्ड फर्मों के अतिरिक्त इस कार्य में रूचि रखने वाले अन्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है।

4 फर्मों को लिफाफे पर 'टेक्निकल बिड' लिखकर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :–

- 4.1 फर्म का पैन कार्ड की प्रति। (स्वप्रमाणित)
- 4.2 Assessment Year 2019-2020 एव 2020-2021 का आयकर रिटर्न की प्रति।
- 4.3 छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए। टेक्नीकल बिड में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।
- 4.4 माह जनवरी–2022 का जीएसटी R3B रिटर्न की प्रति जमा करना होगा।
- 4.5 एजेन्सियों को निविदा के साथ सुरक्षा निधि के रुप में ''छत्तीसगढ़ संवाद'' रायपुर के नाम से देय राशि रु. 5 लाख (बिना ब्याज के वापसी योग्य) एवं प्रस्ताव प्रपत्र शुल्क (वापसी योग्य नहीं) रूपए 2,360/– (रू. दो हजार तीन सौ साठ मात्र) डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक की मूल प्रति जमा करना होगा।
- 4.6 फर्मों को राजधानी नवा रायपुर अटल नगर तथा रायपुर नगर निगम एवं अन्य संबंधित शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्था से विज्ञापन प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त यूनीपोल के स्थान, सड़क तथा कोड नंबर का उल्लेख करते हुए यूनीपोल की सूची प्रस्तुत करना है।

4.7 यूनीपोल का फोटो एल्बमब–यूनीपोल की साइज एवं यूनीपोल लोकेशन मैप की पूर्ण पता का उल्लेख करते हुए टेक्निकल बिड लिफाफे में शामिल करना होगा।

4.8 किसी चार्टर्ड एकाउंटेट से सत्यापित गत वर्ष 2019–20 का न्यूनतम राशि रु. 50 लाख होर्डिंग्स/यूनीपोल कार्य का टर्नओव्हर प्रस्तुत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं गत वर्ष का Audited Balance Sheet , Profit and loss account schedules के साथ प्रस्तुत करना होगा। सी.ए. द्वारा सत्यापित टर्नओव्हर प्रमाण पत्र में होर्डिंग्स/यूनीपोल कार्य से संबंधित टर्नओव्हर का उल्लेख होना अनिवार्य है।

5 जान–माल की सुरक्षा की सभी जिम्मेदारी प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले फर्म का होगा, अन्य कोई भी सुरक्षा संबंधी थर्ड पार्टी इंश्यूरेन्स आदि होर्डिंग्स एजेंसी/फर्म को सुनिश्चित करना होगा। किसी भी प्रकार के क्षति के लिए छत्तीसगढ़ संवाद जिम्मेदार नहीं होगा।

6 इम्पैनल्ड एजेंसी/फर्मों को कार्य के तत्कालिकता, आवश्यकता तथा बेहतर लोकेशन एवं बेहतर Visibility के आधार पर कार्य आबंटन का पूर्ण अधिकार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

7 यूनीपोल हेतु निर्धारित अवधि व वांछित आकार–प्रकार एवं संख्या में कमी पाए जाने पर/कार्यादेश के अनुरूप कार्य नहीं होने पर तद्नुसार देयक में कटौती कर भुगतान की जाएगी।

8 यूनीपोल लगाने की निर्धारित अवधि में प्रिंटिंग मीडिया लगाने, रखरखाव और सुरक्षा के साथ–साथ आवश्यकता होने पर इसे बदलने का कार्य एजेंसी का होगा। प्रिंटिंग मीडिया/मटेरियल माउंटिंग हेतु अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा।

9 फर्मों को कार्यादेश अनुरूप यूनीपोल डिस्प्ले कर संबंधित विभाग/कार्यालय के अधिकारियों से प्रमाणित संतोषजनक कार्य संपादन संबंधी/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र की प्रति हस्ताक्षर–सील एवं दिनांक उल्लेखित प्रमाणित छायाचित्र की दो प्रतियां, जिसमें यूनीपोल की लोकेशन(अंक्षाश–देशांश), अवधि एवं साईज उल्लेखित हो, देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्रिंट मीडिया हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री NGT (**National Green Tribunal**) तथा समय समय पर केंद्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश अनुमोदित सामग्री का उपयोग किया जाना अनिवार्य है, जिसका उत्तरदायित्व संबंधित एजेंसी की होगी।

10 संबंधित विभागों से छत्तीसगढ़ संवाद को देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित एजेंसी के देयकों का भुगतान छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा किया जाएगा, कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। एजेंसी द्वारा कार्य पश्चात् फोटोग्राफ एवं सत्यापन प्रमाण पत्र के साथ देयक छत्तीसगढ़ संवाद में प्रस्तुत करना होगा। संबंधित एजेंसी द्वारा देयक की तिथि से नियत समय में निर्धारित जीएसटी की राशि संबंधित विभाग में जमा करायी जानी होगी। एजेंसी के देयकों के भुगतान के समय एजेंसी द्वारा देयक में उल्लेखित तथा तदानुसार जमा की गई जीएसटी राशि की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा की जाएगी।

11 फर्मों को निर्धारित प्रारुप में 50 रूपए के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म को छत्तीसगढ़ शासन के किसी भी उपक्रम, निगम, मंडल एवं अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

12 इम्पैनलमेंट की अवधि पूर्व निविदा के समाप्ति तक मान्य होगी। समय अवधि में वृद्धि अथवा कमी करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा।

13 स्वयं के स्वामित्व के यूनीपोल के स्पेस चार्ज (माउटिंग चार्ज सहित) हेतु छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा अनुमोदित दर निम्नानुसार हैः–

क्र.	कार्य	अवधि	अनुमोदित दर
1	**लाईट यूनीपोल- रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्रहेतु लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है।** 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	160.00
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	280.00
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	275.00
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	270.00
2	**लाईट मिनी यूनीपोल- रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्रहेतु लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है ।** 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	155.00
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	275.00
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	270.00
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	265.00
3	**बिना लाईट यूनीपोल- नवा रायपुर अटल नगर निवेशक्षेत्र हेतु बिना लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है।** 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	145.00
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	230.00
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	225.00
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	220.00
4	**लाईट यूनीपोल- नवा रायपुर अटल नगर निवेशक्षेत्र हेतु लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है।** 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	125.00
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	270.00
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	265.00
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	260.00
5	**लाईट यूनीपोल-** जिला मुख्यालय (समस्त जिला)हेतु लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है। 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	130.00
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	275.00
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	270.00
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	250.00

(पंजीकृत फर्मों के लिए जीएसटी अतिरिक्त)

उपरोक्त दरों के अतिरिक्त प्रिंट मीडिया (नान पीवीसी फ्लैक्स) सामग्री एवं मुद्रण हेतु छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित दर राशि रु. @ 10.50/– रूपए प्रति वर्ग फीट(जीएसटी अतिरिक्त) की दर से भुगतान किया जाएगा।

14 आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):– किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेशन–प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

15 व्यवहार में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ ही होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ–पत्र

मैं——————————संस्था प्रमुख निवासी ————————————छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था ———————————— किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/ निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान ——————

दिनांक —————

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर